राजस्थान–सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.

"कर–भवन" अजमेर

क्रमांक : एफ–7(39)जन/2013/पार्ट–I/ 6615–7146 दिनांक : 28-7-14

1. अतिरिक्त महानिरीक्षक,
   पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
   जयपुर।
2. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक),
   जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक,
   पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक)
   (समस्त)
4. उप पंजीयक (पूर्णकालिक एवं पदेन)
   समस्त, राजस्थान

विषय : राजस्थान वित्त अधिनियम–2014 के अन्तर्गत राजस्थान स्टाम्प अधिनियम–1998 में किए गए नवीन संशोधनों की पालना सुनिश्चित करने के क्रम में।

म्होदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य बजट 2014–15 में राजस्थान वित्त अधिनियम–2014 के अध्याय–7 में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम–1998 में किए गए नवीन प्रावधान/संशोधन किए गए है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में "रियायत करार" Concession Agreement को अधिनियम की धारा–2 (x-क) में परिभाषित कर अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल–5 के अन्तर्गत शामिल करके इस दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क का प्रावधान किया गया है।

2- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में "Leave and Licence" के दस्तोवज को धारा–2(xxi-a) में परिभाषित कर अधिनियम की अनुसूची में नया आर्टिकल 33-A जोडकर इस दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान किया गया है।

3- भूमि की बाजार दरें निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जिला स्तरीय समिति या अन्य किसी प्राधिकारी को अधिकृत करने के प्रावधान करने हेतु अधिनियम की धारा–2(xxii) में विद्यमान "बाजार मूल्य" की परिभाषा को संशोधित किया गया है।

4- तकनीकी के विकास के साथ–साथ आम जनता व राज्य सरकार की सुविधा के अनुरूप स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान अन्य माध्यमों यथा डिमाण्ड ड्राफ्ट, पे–आर्डर, ई–ग्रास चालान या किसी व्यक्ति, संस्था या कम्पनी के माध्यम से भुगतान के विकल्प उपलब्ध कराने हेतु अधिनियम की धारा–4 एवं राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम–3 में संशोधन किया गया है।

5- अधिनियम में नई धारा–4A जोडकर स्टाम्प ड्यूटी या अधिभार की राशि को 10/– रूपये के पूर्णांक में लिये जाने का प्रावधान किया गया है।

6- सभी अमुद्रांकित या अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित दस्तावेजों पर उनके अमुद्रांकित या अपर्याप्त रहने की अवधि के लिए अपवंचित राशि की 2% प्रतिमाह की दर से या

अपवंचित राशि की 25% राशि जो भी अधिक हो की शास्ति किन्तु ऐसी शास्ति अपवंचित राशि की 2 गुना से अधिक नहीं होगी का प्रावधान करने के लिए अधिनियम की धारा–39, 43, 44, 51 एवं 53 में पेनल्टी के प्रावधानों को संशोधित किया गया है।

7- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम में नई धारा–52-A जोडकर कलक्टर (मुद्रांक) के द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णयों को रि-ओपन करने की शक्तियां प्रदान की गई है।

8- प्रकरण विशेषों में पक्षकारों की आर्थिक स्थिति एवं परिस्थितियों पर गुणावगुण पर विचार कर शास्ति या ब्याज या दोनों की राशि में 25,000/– रूपये की अधिकतम सीमा तक छूट प्रदान करने की शक्तियां महानिरीक्षक को प्रदान करने के लिए अधिनियम में नई धारा–56-क जोडकर प्रावधान किया गया है।

9- दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की देयता उसके निष्पादन की दिनांक से ही उत्पन्न हो जाती है। अतः ऐसे दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में कमी राशि पर ब्याज की गणना भी कलक्टर (मुद्रांक) के निर्णय की दिनांक के बजाय दस्तावेज के निष्पादन की दिनांक से करने तथा ब्याज की दर को 18% वार्षिक चक्रवृद्धि के स्थान पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से लिये जाने तथा शास्ति पर भी ब्याज की गणना का प्रावधान करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा–72 में संशोधन किया गया है।

10- उत्पादों के विज्ञापन तथा किसी प्रोग्राम या फिल्म के ब्रोडकास्टिंग, टेलिकास्टिंग के संबंध में निष्पादित इकरारनामों पर स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान करने के लिए इस विषय पर निष्पादित होने वाले इकरारनामों को पृथक श्रेणी में रखते हुए इन पर भिन्न स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान करने के लिए अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल–5 में स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान किया गया है।

11- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के विद्यमान आर्टिकल–5A को संशोधित कर अधिनियम की धारा–2 के खण्ड (xxxvii) में वर्णित संस्था (एसोसिएशन) या स्टॉक एक्चेन्ज के मार्फत किसी किसी व्यापारकर्त्ता सदस्य द्वारा किये गये सौदों (इलेक्ट्रोनिक्स या अन्य) के अभिलेख पर स्टाम्प शुल्क के प्रावधानों को संशोधित किया गया है।

12- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल–21(iii) में कम्पनियों के अमलगमेशन, डीमर्जर, रिकन्सट्रेक्शन के आदेशों पर स्टाम्प ड्यूटी की गणना के स्पष्ट प्रावधान करने के लिए आर्टिकल–21 में संशोधन कर अमलगमेशन, डीमर्जर, रिकन्सट्रेक्शन के आदेशों पर स्टाम्प ड्यूटी गणना के संबंधित कम्पनी की सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति के अनुपात में राजस्थान राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति का प्रतिशत निकाल कर कम्पनी की Networth (शुद्ध मूल्य) के उतने प्रतिशत पर 2% की दर से स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान किया गया है। इस स्टाम्प ड्यूटी में अधिसूचना क्रमांक एफ.4(15) वित्त/कर/2014–51 दिनांक 14.07.2014 जारी कर 25 करोड रूपये से अधिक देय स्टाम्प ड्यूटी को माफ किया गया है।

13- राज्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा ट्रांसफरेबल डवलपमेन्ट राईट्स सर्टिफिकेट (TDR) के माध्यम से भू–स्वामी की संहमति से भू अवाप्ति की नई अवधारणा विकसित हुई है। इस दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान करने के लिए अधिनियम की अनुसूची में आर्टिकल–21 में नया क्लॉज (IV) जोडकर ट्रांसफरेबल डवलपमेन्ट राईट्स सर्टिफिकेट (TDR) पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वेन्स की दर से स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त प्रावधानों की छायाप्रति अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा में पत्र के संलग्न कर भिजवाई जा रही है, निर्देशानुसार इन प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। इन प्रावधानों को विभाग की वेब–साईट **igrs.rajasthan.gov.in** पर भी देखा जा सकता है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

28/7/14

(मिरजू राम शर्मा)
अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर 28/7/14

क्रमांक : एफ–7(39)जन/2013/पार्ट–I/ 7147 दिनांक: 28-7-14

प्रतिलिपि :– उप निदेशक, कम्प्यूटर, मुख्यालय, अजमेर को विभाग की वेब–साईट **igrs.rajasthan.gov.in** पर तत्काल अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

28/7/14

(मिरजू राम शर्मा)
अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर 28/7/14

अध्याय 7

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

34. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (x) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (xi) के पूर्व निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(x-क) "रियायत करार" से ऐसा कोई करार अभिप्रेत है जिसमें राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अन्य कानूनी संस्था द्वारा अधिकारों, भूमि या सम्पति का, कतिपय शर्तों के अध्यधीन, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या, यथास्थिति, किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम की ऐसी आस्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्यिक आधार पर कोई सेवा उपलब्ध कराने के लिए, प्रदान किया जाना अंतवर्लित हो;";

(ii) विद्यमान खण्ड (xxi) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (xxii) के पूर्व निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(xxi-क) "इजाजत और अनुज्ञप्ति" से कोई ऐसी लिखत अभिप्रेत है, जिसे चाहे इजाजत या अनुज्ञप्ति के नाम से या किसी अन्य नाम से जाना जाये, जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी दूसरे को, या किसी निश्चित संख्या में अन्य व्यक्तियों को, प्रदाता की स्थावर संपत्ति में या पर ऐसी कोई बात करने या करते रहने का अधिकार, प्रदान करता है, जो ऐसे अधिकार के न होने पर विधिविरुद्ध होगी और ऐसा अधिकार सुखाचार या संपत्ति में कोई हित नहीं है;"; और

(iii) विद्यमान खण्ड (xxiii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(xxiii) ऐसी किसी भी संपत्ति, जो लिखत की विषयवस्तु है, के संबंध में "बाजार मूल्य" से, ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से, जो अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित की जाये, अवधारित वह कीमत, जो ऐसी संपत्ति के लिए प्राप्त हुई होती या प्राप्त होगी, यदि उसे उक्त लिखत के निष्पादन की तारीख को खुले बाजार में बेचा जाये, या लिखत में कथित प्रतिफल, जो भी उच्चतर हो, अभिप्रेत है;"।

35. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 4 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"4. स्टाम्प शुल्क का नकद संदाय.- (1) धारा 10 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

(i) स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य कोई भी लिखत किसी अस्टाम्पित कागज पर निष्पादित की जा सकेगी; और

(ii) ऐसी लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क ऐसी रीति से संदत्त या संगृहीत किया जा सकेगा जैसीकि राज्य सरकार नियमों द्वारा विहित करे।

(2) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, उप-धारा (1) के खण्ड (ii) के अधीन स्टाम्प शुल्क के संदाय का ऐसा सबूत पेश करने पर, जैसाकि राज्य सरकार नियमों द्वारा विहित करे, इस प्रकार संदत्त स्टाम्प शुल्क की रकम को लिखत पर ऐसी रीति से पृष्ठांकित कर सकेगा, जैसीकि राज्य सरकार नियमों द्वारा विहित करे।

(3) उप-धारा (2) के अधीन पृष्ठांकित कोई लिखत इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रुप से स्टाम्पित समझी जायेगी और समस्त आशयों और समस्त प्रयोजनों के लिए उसका इसी रूप में उपयोग किया जा सकेगा या उस पर कार्रवाई की जा सकेगी।"।

36. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 में धारा 4-क का अन्त:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4 के पश्चात् और विद्यमान धारा 5 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"4-क. संदेय शुल्क, फीस या अधिभार या दी जाने वाली छूट में भिन्न का पूर्णांकन.- इस अधिनियम के अधीन संदेय शुल्क, अधिभार या फीस की या दी जाने वाली छूट की रकम अवधारित करने में 10 रुपये की कोई भी भिन्न, जो 50 पैसे के बराबर या उससे अधिक हो, का पूर्णांकन अगले 10 रुपये में किया जायेगा और 50 पैसे से कम की कोई भी भिन्न हिसाब में नहीं ली जायेगी।"।

37. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 39 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 39 के परन्तुक के खण्ड (क) के विद्यमान उप-खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(ii) जिस कालावधि के दौरान लिखत अपर्याप्त रुप से स्टाम्पित रही है, उस कालावधि के दौरान शुल्क में कमी की रकम या इसके भाग पर, दो प्रतिशत प्रतिमास की दर से या स्टाम्प शुल्क में कमी का पच्चीस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति, किन्तु ऐसी शास्ति स्टाम्प शुल्क में कमी के दोगुने से अधिक नहीं होगी।"।

38. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 43 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 43 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"43. धारा 42 की उप-धारा (1) के अधीन शास्ति प्रतिदत्त करने की कलक्टर की शक्ति.- जहां किसी लिखत की कोई प्रति जो केवल इस कारण परिबद्ध की गयी है कि वह धारा 13 या धारा 14 के उल्लंघन में लिखी गयी है, धारा 42 की उप-धारा (1) के अधीन कलक्टर को भेजी जाती है तो, वह ऐसी लिखत के संबंध में संदत्त पूरी शास्ति वापस लौटा सकेगा।"।

39. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 44 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 44 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये की शास्ति, अथवा यदि वह ठीक समझता है तो उचित शुल्क या उसके कमी वाले भाग की रकम के दस गुने से अनधिक रकम, चाहे ऐसी रकम एक

सौ रुपये से अधिक हो या कम हो," के स्थान पर अभिव्यक्ति "जिस कालावधि के दौरान लिखत अस्टाम्पित या अपर्याप्त रुप से स्टाम्पित रही, उस कालावधि के दौरान शुल्क में कमी की रकम या इसके भाग पर, दो प्रतिशत प्रतिमास की दर से या स्टाम्प शुल्क में कमी का पच्चीस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, किन्तु जो स्टाम्प शुल्क में कमी के दोगुने से अधिक नहीं होगी," प्रतिस्थापित की जायेगी।

40. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 51 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 51 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) उप-धारा (1) या (2) के अधीन लिखत के प्राप्त होने पर, कलक्टर पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और विहित रीति से जांच करने के पश्चात् बाजार मूल्य और जिस कालावधि के दौरान लिखत अस्टाम्पित या अपर्याप्त रुप से स्टाम्पित रही, उस कालावधि के दौरान शुल्क में कमी की रकम या इसके भाग पर, दो प्रतिशत प्रतिमास की दर से या स्टाम्प शुल्क में कमी की पच्चीस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, किन्तु स्टाम्प शुल्क में कमी के दोगुने से अधिक न हो, की शास्ति और उस पर संदेय अधिभार यदि कोई हो, सहित स्टाम्प शुल्क अवधारित करेगा, और यदि इस प्रकार अवधारित शास्ति और अधिभार, यदि कोई हो, सहित स्टाम्प शुल्क की रकम पूर्व में संदत्त शास्ति और अधिभार सहित स्टाम्प शुल्क की रकम से अधिक हो तो वह कम रकम, शास्ति और अधिभार, यदि कोई हो, सहित स्टाम्प शुल्क संदत्त करने के लिए दायी व्यक्ति द्वारा संदेय होगी।"; और

(ii) विद्यमान उप-धारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(5) कलक्टर, उस सम्पत्ति के बाजार मूल्य के सही होने के बारे में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजनार्थ उप-धारा (4) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति से या निष्पादक से या किसी भी अन्य व्यक्ति से, उप-धारा (1) या (2) के अधीन उसे निर्दिष्ट न की गयी

कोई भी लिखत स्वप्रेरणा से या उप-धारा (4) के अधीन किये गये निर्देश पर मंगवा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और यदि ऐसी परीक्षा के पश्चात् उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य लिखत में सही तौर पर उपवर्णित नहीं किया गया है तो वह, उप-धारा (3) में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार बाजार मूल्य और जिस कालावधि के दौरान लिखत अस्टाम्पित या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित रही, उस कालावधि के दौरान शुल्क में कमी की रकम या इसके भाग पर, दो प्रतिशत प्रतिमास की दर से या स्टाम्प शुल्क में कमी का पच्चीस प्रतिशत, जो भी अधिक हो, किन्तु जो स्टाम्प शुल्क के दो गुने से अधिक नहीं होगी, की शास्ति के साथ-साथ संदेय स्टाम्प शुल्क की रकम अवधारित कर सकेगा, जो स्टाम्प शुल्क और शास्ति संदत्त करने के दायी व्यक्ति द्वारा संदेय होगी।"।

41. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 में धारा 52-क का अन्त:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 52 के पश्चात् और विद्यमान धारा 53 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**52-क. एक पक्षीय आदेश पर पुन: विचार करना.-** (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कलक्टर द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है वहां व्यथित व्यक्ति, ऐसे आदेश की उसको संसूचना होने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इस आधार पर कलक्टर को ऐसे आदेश पर पुन: विचार करने के लिए, आवेदन कर सकेगा कि उस मामले में उसको जारी की गयी सूचना या समन उसको प्राप्त नहीं हुए या कि उसे पर्याप्त कारण से उसको जारी की गयी किसी सूचना या समन का पालन करने से निवारित किया गया था।

(2) यदि उप-धारा (1) के अधीन किये गये आवेदन में विनिर्दिष्ट आधार पर कलक्टर का समाधान हो जाये तो वह एक पक्षीय आदेश पर पुन: विचार करेगा और व्यथित व्यक्ति को सुनने के पश्चात् उप-धारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त करने की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।"।

42. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 53 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 53 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) उप-धारा (1) या (2) के अधीन दस्तावेज या लिखत के प्राप्त होने पर कलक्टर, पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् दस्तावेज या लिखत का सही स्वरूप और कमी शुल्क की राशि पर उस अवधि के लिए जिसके दौरान लिखत अस्टाम्पित या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित रही, प्रतिमास या उसके बाद के लिए दो प्रतिशत की दर से शास्ति या कमी स्टाम्प शुल्क का पच्चीस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, किन्तु कमी स्टाम्प शुल्क के दो गुने से अधिक न हो, और अधिभार, यदि कोई हो, सहित उस पर संदेय स्टाम्प शुल्क अवधारित करेगा और इस प्रकार अवधारित शास्ति और अधिभार, यदि कोई हो, सहित संदत्त स्टाम्प शुल्क के या उसकी पूर्ति करने के लिए अपेक्षित रकम के संदाय की अपेक्षा कर सकेगा।"; और

(ii) विद्यमान उप-धारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(5) कलक्टर, उस दस्तावेज या लिखत के स्वरूप के संबंध में उसके सही होने के बारे में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजनार्थ उप-धारा (4) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति से या निष्पादक से या किसी भी अन्य व्यक्ति से, उप-धारा (1) या (2) के अधीन उसे निर्दिष्ट न किया गया कोई भी दस्तावेज या लिखत, जो रजिस्ट्रीकृत कर दी गयी है और निष्पादक को या किसी भी अन्य व्यक्ति को वापस कर दी गयी है, स्वप्रेरणा से या उप-धारा (4) के अधीन या अन्यथा किये गये निर्देश पर मंगवा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और पक्षकारों को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि दस्तावेज या लिखत का स्वरूप सही तौर पर उल्लिखित या अवधारित नहीं किया

अधिनि

3

गया था, तो वह उस दस्तावेज या लिखत का सही स्वरूप और उस पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क, प्रतिमाह कमी शुल्क की राशि या इसके भाग के दो प्रतिशत की दर से ऐसी कालावधि के लिए जिसके दौरान लिखत अस्टाम्पित या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित रही या स्टाम्प शुल्क में कमी की पच्चीस प्रतिशत, जो भी अधिक हो, किन्तु स्टाम्प शुल्क के दो गुने से अधिक नहीं होगी, की शास्ति के साथ-साथ उस पर संदेय स्टाम्प शुल्क, यदि कोई हो, सहित इस प्रकार अवधारित स्टाम्प शुल्क या उसकी पूर्ति करने के लिए अपेक्षित रकम के संदाय की अपेक्षा कर सकेगा।"।

43. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 में नयी धारा 56-क का अन्त:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 56 के पश्चात् और विद्यमान धारा 57 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"56-क. ब्याज और शास्ति को कम करने या अधित्यजन करने की महानिरीक्षक स्टाम्प की शक्ति.- (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महानिरीक्षक स्टाम्प किसी व्यतिक्रमी द्वारा इस निमित्त किये गये आवेदन पर ब्याज या शास्ति या दोनों की रकम को पच्चीस हजार रुपये की अधिकतम सीमा तक कम कर सकेगा या उसका अधित्यजन कर सकेगा, यदि वह व्यतिक्रमी ऐसे आदेश से तीस दिवस के भीतर-भीतर इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संदत्त किए जाने वाले शुल्कों, शास्तियों, ब्याज और किन्हीं अन्य राशियों की शेष रकम जमा करने के लिए सहमत हो जाता है।

(2) यदि व्यतिक्रमी उस उप-धारा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर-भीतर उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम जमा कराने में विफल हो जाता है तो उप-धारा (1) के अधीन पारित कम करने या अधित्यजन करने का आदेश तीस दिवस की पूर्वोक्त कालावधि की समाप्ति पर प्रत्याहृत हो जायेगा।"।

44. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 72 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 72 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"72. शुल्क, अधिभार या शास्ति पर ब्याज.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन (अवधारण, अपील, पुनरीक्षण, परिशुद्धि या अन्यथा सहित) किसी कार्यवाही

में पारित किसी आदेश के परिणामस्वरुप किसी व्यक्ति से शुल्क या अधिभार की राशि वसूलीय है, वहां वह, ऐसी लिखत के निष्पादन की तारीख से लेकर जब तक उक्त रकम का संदाय नहीं कर दिया जाता तब तक, शुल्क या अधिभार की रकम पर बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि दर से ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के परिणामस्वरुप किसी व्यक्ति से शास्ति की कोई रकम वसूलीय है वहां वह ऐसे आदेश की तारीख से ऐसी राशि के संदाय की तारीख तक ऐसी शास्ति की रकम पर बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि दर से ब्याज का संदाय करने के दायित्वाधीन होगा।"।

45. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

(i) अनुच्छेद 5 के विद्यमान खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(च) यदि किसी उत्पाद के प्रोत्साहन के लिए किये गए किसी विज्ञापन; या उसमें से लाभ प्राप्त करने या कारबार करने के आशय से कार्यक्रम या इवेण्ट से संबंधित है,-	
(i) यदि करार की गई रकम दस लाख रुपये से अधिक नहीं है;	न्यूनतम 100 रुपये के अध्यधीन रहते हुए, संविदा में करार की गई प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग की रकम पर दो रुपये पचास पैसे।
(ii) अन्य किसी मामले में,	संविदा में करार की गई रकम पर प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग पर पांच रुपये।
"(चच) यदि किसी इवेण्ट या फिल्म को टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट करने या उसका प्रदर्शन करने के अनन्य	

अधिकार प्रदान करने से संबंधित है,-	
(i) यदि करार की गई रकम दस लाख रुपये से अधिक नहीं है;	न्यूनतम 100 रुपये के अध्यधीन रहते हुए, संविदा में करार की गई प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग की रकम पर दो रुपये पचास पैसे।
(ii) अन्य किसी मामले में,	संविदा में करार की गई रकम पर प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग पर पांच रुपये।";

(ii) विद्यमान अनुच्छेद 5-क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**5-क.** किसी व्यापारिक सदस्य द्वारा धारा 2 के खण्ड (ix) और (xxxvii) में निर्दिष्ट किसी संगम या स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कार्यान्वित **संव्यवहार का अभिलेख (इलेक्ट्रोनिक या अन्यथा)**,-	
(क) यदि सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय और क्रय से संबंधित हो।	प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक एक करोड़ रुपये या उसके भाग के लिए पचास रुपये।
(ख) यदि उपर्युक्त मद (क) के अधीन आने वाली से भिन्न प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय से संबंधित हो,-	
(i) परिदान के मामले में	प्रतिभूति के मूल्य का 0.01 प्रतिशत।
(ii) अपरिदान के मामले में	प्रतिभूति के मूल्य का 0.01 प्रतिशत।
(ग) यदि भावी और विकल्प व्यापार से संबंधित हो।	भावी और विकल्प व्यापार के मूल्य का 0.01 प्रतिशत।
(घ) यदि किसी संगम के माध्यम से	अग्रिम संविदा के मूल्य का 0.01

या अन्यथा व्यापार की गयी वस्तुओं की अग्रिम संविदा से संबंधित हो।	प्रतिशत।
स्पष्टीकरण.- खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिए प्रतिभूति का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में परिभाषित है।";	

(iii) विद्यमान अनुच्छेद 20 के पश्चात् और विद्यमान अनुच्छेद 21 के पूर्व निम्नलिखित नया अनुच्छेद अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"20-क. धारा 2(x-क) द्वारा यथापरिभाषित **रियायत करार**	(i) 2 लाख रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 10 करोड़ रुपये तक हो;
स्पष्टीकरण.- इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम सं. .....) के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व निष्पादित रियायत करार, इस अनुच्छेद के अधीन प्रभार्य होगा और ऐसे प्रारम्भ के तीस दिवस के भीतर-भीतर स्टाम्पित किया जायेगा।	(ii) 10 लाख रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 10 करोड़ रुपये तक है किन्तु 50 करोड़ रुपये से अधिक न हो; (iii) 40 लाख रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 50 करोड़ रुपये से अधिक है किन्तु 200 करोड़ रुपये से अधिक न हो; (iv) 1 करोड़ रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 200 करोड़ रुपये से अधिक है किन्तु 500 करोड़ रुपये से अधिक न हो; (v) 2 करोड़ रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 500 करोड़ रुपये से अधिक है किन्तु 1000 करोड़ रुपये से अधिक न हो; (vi) 5 करोड़ रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 1000 करोड़ रुपये से अधिक है

	किन्तु 2500 करोड़ रुपये से अधिक न हो; (vii) 10 करोड़ रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 2500 करोड़ रुपये से अधिक हो।";

(iv) अनुच्छेद 21 के विद्यमान खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iii) यदि किसी कंपनी के आमेलन, डीमर्जर (Demerger) या पुनर्गठन के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) की धारा 394 या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 44-क के अधीन किये गये आदेश से संबंधित हो,-	अन्तरक कंपनी की सम्पूर्ण स्थावर सम्पत्ति के मूल्य से अंतरक कंपनी की राजस्थान राज्य में स्थित स्थावर सम्पत्ति के अनुपात के बराबर अंतरक कंपनी के शुद्ध मूल्य के उस भाग पर दो प्रतिशत; लिखत पर अन्यत्र संदत्त स्टाम्प इयूटी, यदि कोई हो, के अतिरिक्त;"।

(v) अनुच्छेद 21 के विद्यमान खण्ड (iii) के पश्चात् और "छूट" के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iv) यदि वह अन्तरणीय विकास अधिकारों (टीडीआर) से संबंधित है	ऐसे अन्तरणीय विकास अधिकारों के प्रति सम्पत्ति के संबंधित भाग के बाजार मूल्य के समान अन्तरणीय विकास अधिकारों के बाजार मूल्य पर पांच प्रतिशत, जो हस्तान्तरण विलेख की विषय वस्तु है; या ऐसे हस्तान्तरण विलेख के लिए प्रतिफल है; जो भी अधिक हो।";

(vi) अनुच्छेद 21 का विद्यमान स्पष्टीकरण (ii) हटाया जायेगा; और

(vii) विद्यमान अनुच्छेद 33 के पश्चात् और विद्यमान अनुच्छेद 34 के पूर्व निम्नलिखित नया अनुच्छेद अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"33-क. आवासीय संपत्ति से भिन्न स्थावर संपत्ति से संबंधित **इजाजत और अनुज्ञप्ति करार।**	कालावधि, जिसके लिए ऐसी इजाजत और अनुज्ञप्ति करार निष्पादित किया गया है, को विचार में लिये बिना, संदेय या परिदेय संपूर्ण रकम पर और जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम दिये गये या अग्रिम दिये जाने वाले धन की कुल रकम पर प्रति सौ रुपये या उसके भाग पर एक रुपया।"।

अध्याय 8

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 में संशोधन

46. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4-घ का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 4-घ के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**4-घ. ग्रीन कर का उद्ग्रहण.-** (1) इस अधिनियम की धारा 4, 4-ख और 4-ग के अधीन उद्गृहीत कर के अतिरिक्त, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट, सड़क पर उपयोग के लिए उपयुक्त ऐसे यानों पर, स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे समय पर, इस सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट अधिकतम दरों से अनधिक ऐसी दरों पर, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जायें, "ग्रीन कर" के नाम से एक उपकर उद्गृहीत और संगृहीत किया जायेगा।

31. Amendment of section 9A, Rajasthan Act No. 24 of 1957.- In clause (a) of section 9A of the principal Act, the existing expression ",4AAA" shall be deleted.

32. Amendment of section 10B, Rajasthan Act No. 24 of 1957.- For the existing section 10B of the principal Act, the following shall be substituted, namely,-

> **"10B. Penalty for non-payment of Tax on cable service and direct to home broadcasting service.-** Where the proprietor of a cable television network providing cable service or a proprietor of a direct to home broadcasting service, contravenes any of the provisions of this Act or the rules made thereunder or fails to comply with any order or direction issued in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder, shall on conviction, be punishable with a sentence of simple imprisonment not exceeding six months or fine not exceeding two thousand rupees or both.".

CHAPTER VI
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS ACT, 1999

33. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 13 of 1999.- In sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (Act No. 13 of 1999), for the existing expression "twenty percent" the expression "sixty five percent", shall be substituted.

CHAPTER VII
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

34. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

(i) after the existing clause (x) and before the existing clause (xi), the following shall be inserted, namely:-

> "(x-a) "Concession agreement" means an agreement involving a grant of rights, land or property by the State Government, local authority, public sector undertaking or other statutory entity to provide some service on commercial basis using such assets of the State Government or a local authority or a

public sector undertaking, as the case may be, subject to certain conditions;";

(ii) after the existing clause (xxi) and before the existing clause (xxii), the following shall be inserted, namely:-

"(xxi-a) "Leave and Licence" means any instrument, whether called leave or licence or called by any other name, by which one person grants to another, or to a definite number of other persons, a right to do, or continue to do, in or upon the immovable property of the granter, something which would, in the absence of such right, be unlawful, and such right does not amount to an easement or an interest in property;"; and

(iii) for the existing clause (xxiii), the following shall be substituted, namely:-

"(xxiii) "market value" in relation to any property, which is the subject matter of an instrument, means the price which such property would have fetched or would fetch if sold in open market on the date of execution of such instrument as determined by in such manner and by such authority as may be prescribed by rules made under this Act or the consideration stated in the instrument, whichever is higher;".

35. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- For the existing section 4 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**4. Payment of stamp duty in cash.-** (1) Notwithstanding anything contained in section 10,-

(i) any instrument chargeable with the stamp duty may be executed on an unstamped paper; and

(ii) the stamp duty chargeable on such instrument may be paid or collected in such manner as the State Government may prescribe by rules.

(2) The registering officer or any other officer authorized by the State Government shall, on production of such proof of payment of stamp duty under clause (ii) of sub-section (1) as the State Government may prescribe by rules, endorse on the instrument the amount of stamp duty so paid in such manner as the State Government may prescribe by rules.

(3) An instrument endorsed under sub-section (2) shall be deemed to be duly stamped under this Act and may be used or acted upon as such to all intents and for all purposes.".

36. Insertion of section 4-A, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- After the existing section 4 and before the existing section 5 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

"**4-A. Rounding off of fractions in duty, fee or surcharge payable or allowances to be made.-** In determining the amount of duty, surcharge or fee payable, or of the allowances to be made, under this Act, any fraction of 10 rupees, equal to or exceeding 50 paise shall be rounded off to next 10 rupees, and any fractions of less than 50 paise shall be disregarded.".

37. Amendment of section 39, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- For the existing sub-clause (ii) of clause (a) of proviso to section 39 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(ii) a penalty at the rate of two percent of the amount of the deficient duty per month or part thereof for the period during which the instrument remained insufficiently stamped or twenty five percent of the deficient stamp duty, whichever is higher, but such penalty shall not exceed to two times of the deficient stamp duty.".

38. Amendment of section 43, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- For the existing section 43 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**43. Collector's power to refund penalty under sub-section (1) of section 42.-** Where a copy of an instrument which has been impounded only because it has been written in contravention of section 13 or section 14 is sent to the Collector under sub-section (1) of section 42, he may refund whole penalty paid in respect of such instrument.".

39. Amendment of section 44, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 44 of the principal Act, for the existing expression "a penalty of one hundred rupees; or, if he thinks fit an amount not exceeding ten times the amount of the proper duty or of the deficient portion thereof, whether such amount exceeds or falls short of one hundred rupees:", the expression "a penalty at the rate of two percent of the amount of the deficient duty per month or part thereof for the period during which the instrument remained unstamped or insufficiently stamped or twenty five percent of the deficient stamp duty, whichever is higher, but not exceeding two times of the deficient stamp duty:" shall be substituted.

40. Amendment of section 51, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 51 of the principal Act,-

(i) for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-

"(3) On receipt of the instrument under sub-section (1) or (2), the Collector shall, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard and after holding an enquiry in the prescribed manner, determine the market value and stamp duty including the penalty at the rate of two percent of the amount of the deficient duty per month or part thereof for the period during which the instrument remained unstamped or insufficiently stamped or twenty five percent of the deficient stamp duty, whichever is higher, but not exceeding two times of the deficient stamp duty, and surcharge, if any, payable thereon and if the amount of stamp duty including penalty and surcharge, if any, so determined exceeds the amount of stamp duty including penalty and surcharge, if already paid, the deficient amount shall be payable by the person liable to pay the stamp duty including penalty and surcharge, if any."; and

(ii) for the existing sub-section (5), the following shall be substituted, namely:-

"(5) The Collector may, *suo motu* or on a reference made under sub-section (4) call for and examine any instrument not referred to him under sub-section (1) or (2), from any person referred to in sub-section (4) or the executant or any other person for the purpose of satisfying himself as to correctness of the market value of the property, and if after such examination, he has reason to believe that the market value of such property has not been truly set forth in the instrument, he may determine in accordance with the procedure provided in sub-section (3) the market value and the amount of stamp duty, if any, payable thereon together with a penalty at the rate of two percent of the amount of the deficient duty per month or part thereof for the period during which the instrument remained unstamped or insufficiently stamped or twenty five percent of the deficient stamp duty, whichever is higher, but not exceeding two times of the deficient stamp duty, which shall be payable by the person liable to pay the stamp duty and penalty.".

41. Insertion of section 52-A, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- After the existing section 52 and before the existing section 53 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

"**52-A. Reopening of *ex parte* orders.-** (1) Where an order has been passed by the Collector *ex parte* under this Act, the aggrieved person may apply to the Collector for reopening of such order within thirty days from the date of communication of such order to him on the grounds that he did not receive the notice or summons issued to him in the matter or that he was prevented by sufficient cause from complying with any notice or summons issued to him.

(2) If the Collector is satisfied with the ground specified in the application made under sub-section (1), he shall reopen the *ex parte* order and after hearing the aggrieved person may pass such order as he may think proper in the circumstances of the matter within three months from the date of receipt of the application under sub-section (1).".

42. Amendment of section 53, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 53 of the principal Act,-

(i) for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-

"(3) On receipt of document or instrument under sub-section (1) or (2), the Collector shall, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard, determine the correct nature of the document or instrument and the stamp duty including the penalty at the rate of two percent of the amount of the deficient duty per month or part thereof for the period during which the instrument remained unstamped or insufficiently stamped or twenty five percent of the deficient stamp duty, whichever is higher, but not exceeding two times of the deficient stamp duty, and surcharge, if any, payable thereon and may require the payment of the stamp duty including penalty and surcharge, if any, so determined or the amount required to make up the same."; and

(ii) for the existing sub-section (5), the following shall be substituted, namely:-

"(5) The Collector may, *suo motu* or on a reference made under sub-section (4) or otherwise call for and examine any document or instrument not referred to him under sub-section (1) or (2), from any person referred to in sub-section (4) or the executant or any other person, which has been registered and returned to the executant or any other person for the purpose of satisfying himself as to the correctness with regard to the nature of the document or instrument and if he is satisfied, after giving the

parties a reasonable opportunity of being heard, that the nature of document or instrument had not correctly been mentioned or determined, he may determine the correct nature of the document or instrument and the stamp duty, if any, payable thereon together with a penalty at the rate of two percent of the amount of the deficient duty per month or part thereof for the period during which the instrument remained unstamped or insufficiently stamped or twenty five percent of the deficient stamp duty, whichever is higher, but not exceeding two times of the deficient stamp duty, and require payment of stamp duty including penalty, if any, so determined or the amount require to make up the same.".

43. Insertion of section 56-A, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- After the existing section 56 and before the existing section 57 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

"**56-A. Power of Inspector General of Stamps to reduce or waive interest and penalty.-** (1) Notwithstanding anything contained in this Act, Inspector General of Stamps may on an application made in this behalf by a defaulter, reduce or waive the amount of interest or penalty or both upto a maximum limit of rupees twenty five thousand if the defaulter agrees to deposit the remaining amount of duties, penalties, interest and any other sums required to be paid by him under this Act within thirty days from such order.

(2) If the defaulter fails to deposit the amount specified in sub-section (1) within the time specified in that sub-section, the order of reduction or waiver passed under sub-section (1) shall stand withdrawn on the expiry of aforesaid period of thirty days.".

44. Amendment of section 72, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- For the existing section 72 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**72. Interest on duty, surcharge or penalty.-** (1) Where any amount of duty or surcharge is recoverable from a person as a result of any order passed in any proceeding under this Act (including determination, appeal, revision, rectification or otherwise), he shall be liable to pay interest at the rate of twelve per cent compounded per annum on the amount of duty or surcharge from the date of execution of such instrument until the date of payment of such amount.

(2) Where any amount of penalty is recoverable from a person as a result of any order passed under this Act, he shall be liable to pay interest at

the rate of twelve percent compounded per annum on the amount of such penalty from the date of such order until the date of payment of such amount.".

45. Amendment of the Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In the Schedule of the principal Act,-

(i) for the existing clause (f) of Article 5, the following shall be substituted, namely:-

"(f) If relating to any advertisement made for promotion of any product; or programme or event with an intention to make profits or business out of it,-	
(i) if the amount agreed does not exceed rupees ten lacs;	Two rupees and fifty paise for every rupees 1,000 or part thereof on the amount agreed in the contract subject to minimum of rupees 100.
(iii) in any other case	Five rupees for every rupees 1,000 or part thereof on the amount agreed in the contract.
(ff) If relating to conferring exclusive rights of telecasting, broadcasting or exhibition of an event or film,-	
(i) if the amount agreed does not exceed rupees ten lacs;	Two rupees and fifty paise for every rupees 1,000 or part thereof on the amount agreed in the contract subject to minimum of rupees 100.
(ii) in any other case	Five rupees for every rupees 1,000 or part thereof on the amount agreed in the contract.";

(ii) for the existing Article 5-A, the following shall be substituted, namely:-

"**5-A. Record of Transaction (Electronics or Otherwise)** effected by a trading member through the association or stock exchange referred to in section 2, clause (ia)	

and (xxxvii),-	
(a) if relating to sale and purchase of Government securities.	Fifty rupees for every rupees one crore or part thereof of the value of security.
(b) if relating to purchase or sale of securities, other than those falling under item (a) above-	
(i) in case of delivery	0.01 percent of the value of security.
(ii) in case of non delivery	0.01 percent of the value of security.
(c) if relating to futures and options trading.	0.01 percent of the value of futures and options trading.
(d) if relating to forward contracts of commodities traded through an association or otherwise.	0.01 percent of the value of the forward contract.
Explanation.- For the purpose of clause (b), securities shall have the same meaning as defined by the Securities Contract (Regulation) Act, 1956.";	

(iii) after the existing Article 20 and before the existing Article 21, the following Article shall be inserted, namely:-

"**20-A.Concession agreement** as defined by section 2(x-a).	(i) Rupees 2 lacs, where the total capital investment is upto rupees 10 crore;
Explanation.- Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, a concession agreement executed prior to the date of commencement of the Rajasthan Finance Act, 2014 (Act No.---- of 2014), shall be chargeable under this Article and shall be stamped within 30 days of such commencement.	(ii) Rupees 10 lacs, where the total capital investment exceeds rupees 10 crore but does not exceed rupees 50 crore; (iii) Rupees 40 lacs, where the total capital investment exceeds rupees 50 crore but does not exceed rupees 200 crore; (iv) Rupees 1 crore, where the

total capital investment exceeds rupees 200 crore but does not exceed rupees 500 crore;

(v) Rupees 2 crore, where the total capital investment exceeds rupees 500 crore but does not exceed rupees 1000 crore;

(vi) Rupees 5 crore, where the total capital investment exceeds rupees 1000 crore but does not exceed rupees 2500 crore; and

(vii) Rupees 10 crore, where the total capital investment exceeds rupees 2500 crore.";

(iv) for the existing clause (iii) of Article 21, the following shall be substituted, namely:-

"(iii) if relating to the order under section 394 of the Companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956) or section 44-A of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No. 10 of 1949) in respect of amalgamation, demerger or reconstruction of a company.	Two percent on that part of the net worth of the transferor company which is equal to the proportion the value of the immovable property of the transferor company situated in the State of Rajasthan bears to the value of the whole of immovable property of the transferor company; in addition to the stamp duty paid on the instrument elsewhere, if any.";

(v) after the clause (iii), so amended, and before the "Exemption" of Article 21, the following clause shall be inserted, namely:-

"(iv) if relating to Transferable Development Rights (TDR)	Five percent on the market value of the Transferable Development Rights equal to

	the market value of the corresponding portion of the property leading to such Transferable Development Rights, which is the subject matter of conveyance; or consideration for such conveyance; whichever is higher.";

(vi) the existing Explanation:- (ii) of Article 21, shall be deleted; and

(vii) After the existing Article 33 and before the existing Article 34, the following Article shall be inserted, namely:-

"**33-A. Leave and Licence Agreement** relating to immovable property other than the residential property.	One rupee for every hundred rupees or part thereof on the whole amount payable or deliverable plus the total amount of fine or premium or money advanced or to be advanced irrespective of the period for which such leave and licence agreement is executed.".

CHAPTER VIII
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1951

46. Amendment of section 4-D, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- For the existing section 4-D of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951(Act No. 11 of 1951), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**4-D. Levy of Green Tax.-** (1) There shall be levied and collected a cess called "green tax", in addition to the tax levied under sections 4, 4-B and 4-C of the Act, on such vehicles suitable for use on road as specified in column (2), at such time as specified in column (3), of the table below at such rates, not exceeding the maximum rates specified in column (4) of the